संख्या-303/2024/I/723513/2024/23-11099/3112/2020

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: 22-08-2024**

विषय:- जनपद आगरा शहर में महात्मा गांधी मार्ग पर रावली मन्दिर एवं कलेक्ट्रेट के मध्य ईदगाह एवं आगरा फोर्ट रेलवे लाइन पर आर0ओ0बी0 सं0-157 कि0मी0 83/56-6 पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1764/पुन0 आगणन-आगरा(रावली मन्दिर आर0ओ0बी0 सं0-157)/सेतु-6/23-24, दिनांक 23-11-2023 एवं पत्रांक-563/पुन0 आगणन-आगरा (रावली मन्दिर आर0ओ0बी0 सं0-157)/सेतु-6/24-25, दिनांक 27-05-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा शहर में महात्मा गांधी मार्ग पर रावली मन्दिर एवं कलेक्ट्रेट के मध्य ईदगाह एवं आगरा फोर्ट रेलवे लाइन पर आर0ओ0बी0 सं0-157 कि0मी0 83/56-6 पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-44(1)/23-11-2009, दिनांक 02-03-2009 द्वारा लागत रू0 1082.07 लाख (रूपये दस करोड़ बयासी लाख सात हजार मात्र) एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या-22/2018/1808ई/23-11-2018-1/2(39)/17, दिनांक 31-01-2018 द्वारा रू0 1957.55 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ सत्तावन लाख पचपन हजार मात्र) (जिसमें मुख्य सेतु रेलवे पोर्शन की लागत रू0 774.23 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 1182.32 लाख सम्मिलित है) की प्रदान की गयी है। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण कार्य की विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुन: पुनरीक्षित लागत रू0 1995.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ पन्चानबे लाख मात्र) (जिसमें मुख्य सेतु रेलवे पोर्शन की लागत रू0 774.23 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 1220.77 लाख सम्मिलित है) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	पुन: पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	आगरा	जनपद आगरा शहर में महात्मा गांधी मार्ग पर रावली मन्दिर एवं कलेक्ट्रेट के मध्य ईदगाह एवं आगरा फोर्ट रेलवे लाइन पर आर0ओ0बी0 सं0-157 कि0मी0 83/56-6 पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण का कार्य।	1082.07	1957.55	1995.00

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) उप मुख्य अभियन्ता/सेतु/लाईन, उत्तर मध्य रेलवे, आगरा के पत्रांक-DY/CE/Br/L/Agra/ROB No.157, दिनांक 02-02-2024 द्वारा प्रश्नगत आर0ओ0बी0 के अवशेष 02 लेन रेलवे भाग का कार्य स्वयं के व्यय पर किये जाने की सहमति दी गयी है। तद्क्रम में परियोजना का कार्य रेलवे से समन्वय कर कराया जाय।

(10) जी0एस0टी0 की धनराशि 18 प्रतिशत अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्र/परिकल्पनाओं आदि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाय।

(12) प्रायोजना कार्य हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(14) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते लागत का आकलन किया गया है। इसमें यदि कोई उल्लेखनीय नये परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना सेतु की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन एवं उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना आदि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना में न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(20) उक्त परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-44(1)/23-11-2009, दिनांक 02-03-2009 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या-22/2018/1808ई/23-11-2018-1/2(39)/17, दिनांक 31-01-2018 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (सेतु) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-101-पुल-05-रेलवे उपरिगामी सेतु-0516-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-15-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-118-X-2024-25, दिनांक 22-08-2024 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- महाप्रबन्धक, सम्बन्धित रेलवे।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
14- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in